अध्याय XVI : सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

16.1 खारगर, नवी मुंबई के क्षेत्रीय केंद्र भवन के निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण निष्फल एवं परिहार्य व्यय

सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्माणकार्य सौंपने से पूर्व प्रस्तावित भवन में आरेखण एवं उपयोगिताओं की आवश्यकता से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव एवं अपर्याप्त योजना बनाने के परिणामस्वरूप प्रारंभिक अनुमान लागत में निरन्तर संशोधन हुए। कार्य के प्राक्कलित लागत का ₹2.70 करोड़ से ₹14.67 करोड़ के पुनरीक्षण, भवन निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप किराया और किराये के भवन का अनुरक्षण प्रभार और विभिन्न प्रयोजनों पर ₹1.32 करोड़ का परिहार्य एवं निष्फल व्यय हुआ।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, मुंबई (एन.आई.एम.एच, - आर.सी.एम) ने पहले से विद्यमान परिसर[1] में स्थान की कमी के कारण और सेवा-क्रियाकलापों को विस्तृत करने के उद्देश्य से अपने क्रियाकलापों को नवीं मुंबई में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव अपने प्रधान कार्यालय, एन.आई.एम.एच. सिकंदराबाद (संस्थान) को भेजा (जनवरी 2003)। महाराष्ट्र नगर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सी.आई.डी.सी.ओ.) द्वारा खारगर, नवी मुंबई में पट्टे पर 2,401 वर्ग मीटर माप की भूमि के आबंटन (अक्तूबर 2003/फरवरी 2004) के बाद संस्थान ने भूमि के लिए लीज प्रीमियम और पंजीयन प्रभार के रूप में ₹20,35,220/-[2] की राशि का भुगतान किया (मार्च 2004-जनवरी 2005)।

संस्थान के सी.आई.डी.सी.ओ. के साथ पट्टा समझौता किया (नवम्बर 2004) और समझौते की निबंधन एवं शर्तों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित किया कि-

---

[1] अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी हियरींग हैंडीकैप्ड (ए.वाई.जे.एन.आइ.एच.एच) कैम्पस, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई।

[2] (i) पट्टा प्रीमियम: ₹19,26,500/-, (ii) पंजीयन की लागत (₹18,420/-) और जमीन को पट्टे पर लेने के लिए: स्टॉम्प शुल्क (₹90,300/-)

- खंड 3(डी): संस्थान समझौते की तारीख से एक महीने के अन्दर (1 नवम्बर 2005 तक) निर्माण कार्य शुरू करे और समझौते की तारीख से पाँच वर्षों के अन्दर (1 नवम्बर 2009 तक) कार्य को पूर्ण करे।
- खंड 3(ई.ई.): समझौते की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति या सी.आई.डी.सी.ओ. से पूर्णता एवं दखल प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, संस्थान सी.आई.डी.सी.ओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर सेवा प्रभार का वार्षिक भुगतान करेगा।
- खडं 6: यदि खंड 3(डी) में निर्धारित समय सीमा के अन्दर भवन का निर्माण पूरा नहीं होता है और निर्माण में विलम्ब के कारण से सी.आई.डी.सी.ओ. संतुष्ट है तो सी.आई.डी.सी.ओ. द्वारा निर्धारित लागू दर से संस्थान द्वारा "*अतिरिक्त प्रीमियम* " के भुगतान पर निर्माण के लिए समय-विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है।

संस्थान के खारगर नवी मुंबई मे क्षेत्रीय केंद्र भवन के निर्माण का कार्य मार्च 2004 में ₹35 लाख के प्रारंभिक राशि को जमा करते हुए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा। डिजाइन/बिल्डिंग प्लान में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए संस्थान के अनुरोध पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य के लिए प्रस्तुत (नवम्बर 2005) ₹2.70 करोड़ के प्रारंभिक प्राक्कलन का बार-बार[3] संशोधन किया गया और सबसे अंततम संशोधित प्राक्कलन (जनवरी 2015) ₹14.67 करोड़ का था। ₹35 लाख के जमा के प्रति आहरणों एवं विविध कार्यों के लिए ₹16,08,505/- की व्यय की रिपोर्ट सी.पी.डब्ल्यू.डी ने दिया है।

पुन:, समझौता के खंड 3(ई.ई.) और 6 के अनुपालन में संस्थान के अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम और सेवा प्रभार के लिए ₹13,41,233/-[4] की राशि का भुगतान किया है (जुलाई 2014 तक) और सी.आई.डी.सी.ओ. ने संस्थान को निर्माण के लिए 1 नवम्बर 2016 तक का समय विस्तार दिया है।

---

[3] जून 2009 में ₹9.44 करोड़, जुलाई 2010 में ₹9.05 करोड़, सितम्बर 2013 में ₹18.43 करोड़, और जनवरी 2014 में ₹21.12 करोड़

[4] (i) अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम : ₹8,10,338/- और (ii) सेवा प्रभार : ₹5,30,895/-

संस्थान एवं एन.आई.एम.एच-आर.सी.एम. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने कार्य शुरू करने के प्रस्तावों में निम्नलिखित कमियों को उजागर किया है:

- प्रस्तावित भवन के डिजाइन एवं उसमें आवश्यक उपयोग्यताओं के संबंध में अपर्याप्त आयोजना थी और कोई साध्यता अध्ययन नहीं किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. को मार्च 2004 में कार्य सौंपने से पहले प्रस्तावित भवन के उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, योजना/डिजाइन को बार-बार परिवर्तित किया गया। योजना/डिजाइन में सतत परिवर्तन के कारण पाँच पुनरीक्षणों के बाद प्रारंभिक प्राक्कलन की लागत नवम्बर 2005 में ₹2.70 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2015 में ₹14.67 करोड़ हो गयी।
- निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब और समझौता के खंड 3(डी) के अनुसार पाँच वर्षों की अवधि (01.11.2009) के अन्दर भवन-निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र का कार्य बेलापुर और खारगर नवी मुंबई में किराये के मकानों में किया और नवम्बर 2009 से नवम्बर 2015 की अवधि में किराया और अनुरक्षण प्रभार के रूप में ₹82,11,552 की राशि का खर्च संस्थान को उठाना पड़ा जो परिहार्य व्यय था।

संस्थान ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि मंत्रालय ने निरीक्षण के दौरान नवीनतम तकनीक पर आधारित सुविधाओं एवं प्रयोगकर्ता के लिए अपेक्षित सुविधाओं को बनाने के लिए योजना/डिजाइन में परिवर्तन का सुझाव दिया, जिसके कारण भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ और उससे पी.ई. में पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। यह बताया गया कि मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी.ए.) 1995 के अंतर्गत नवी मुंबई में क्षेत्रीय भवनों के निर्माण के लिए ₹14.67 करोड़ की राशि को संस्वीकृत करने की अनुसंशा की थी (सितम्बर 2015) और उसके अनुसार मंत्रालय द्वारा ₹4.89 करोड़ की राशि (प्राक्कलित लागत ₹14.67 करोड़ का एक तिहाई) जारी की गयी (दिसम्बर 2015) और उसे भवन निर्माण शुरू करने के लिए पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में सी.पी.डब्ल्यू.डी. मुंबई के पास जमा की गयी (दिसम्बर 2015)। आगे यह भी बतलाया गया कि किराये के मकान का किराया एवं अनुरक्षण प्रभार का भुगतान केवल ग्राहकों को सेवाएं प्रदान के लिए ही किया गया।

मंत्रालय द्वारा समर्थित संस्थान का उत्तर (नवम्बर 2015) यह पुष्टि करता है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपने से पहले भवन के लिए आवश्यक प्रयोगकर्त्ता-उपयुक्त सुविधाओं का निर्धारण करने के लिए साध्यता अध्ययन और उपयुक्त आयोजना नहीं की गयी। पुन: स्क्रीनिंग कमेटी की अनुसंशा लेखापरीक्षा आपत्ति के संप्रेषण के बाद आई, जैसा कि बैठक की कार्यवृत्त में बताया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान ने कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ कोई समझौता/समझौता ज्ञापन नहीं किया था और इसके कारण भवन-निर्माण पूर्ण करने की कोई समय-सीमा नहीं थी।

इस प्रकार से, विभिन्न उद्देश्यों के लिए और किराये के स्थान का किराया और अनुरक्षण प्रभार के लिए ₹1.32 करोड़[5] के निष्फल और परिहार्य व्यय के बावजूद नवी मुंबई में क्षेत्रीय केंद्र के लिए स्थायी भवन निर्माण का अपेक्षित उद्देश्य निर्णय लेने के ग्यारह वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं हो सका और निर्माण की प्राक्कलित लागत ₹2.70 करोड़ से बढ़ कर ₹14.67 करोड़ हो गयी।

[5] (i) 2401 वर्ग मीटर भूमि के लिए पट्टा प्रीमियम और पंजीयन प्रभार: ₹20,35,220/-
(ii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. के आहरण एवं विविध कार्यों के लिए ₹16,08,505/- का व्यय किया गया
(iii) अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम और सेवा प्रभार : ₹13,41,233/-
(iv) नवम्बर 2009 से नवम्बर 2015 के अवधि के दौरान किराये पर लिए गए भवन का किराया और रखरखाव प्रभाव ₹82,11,552